

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:—कमलाशंकर

विपक्षी:— दिलीप

किस्म मुकदमा:—प्रा0पत्र 251 ए

पत्रावली संख्या:—110/19

सन:— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>27.1.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी से उसकी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की भूमि खरीद ली है। जिससे प्रकरण में अब कोई वाद कारण शेष नहीं रहा है जिससे प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द की जावे। न्यायालय द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता से पूछा जाने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी भूमि का विक्रय किया जाना स्वीकार किया गया है। जिससे प्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।</p> <p>प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना जाकर न्यायालय का मत है कि जब प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि ही विपक्षी को बेच दी गई है तो रास्ते हेतु अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। जिससे प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द की जाती है।</p> <p>प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर</p>	

